

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)
बनाम.....

मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 05/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
07/01/22 2022 18	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>भाग्यन्द - रामकरण - गुलाबचन्द - मोतीलाल - होरामाम</u> पिता <u>किशान भास्ती, मोलीबाई</u> मिस श्री रतनलाल आरामी पत्नी</p> <p>निवासी- <u>नरपत की खेड़ी</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>नरपत की खेड़ी</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>591 592, 595</u> <u>596 597, 606</u> <u>0.31 0.50 0.67</u></p> <p>कुल कीता <u>6</u> कुल रकबा <u>2.7400</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के <u>खातेदारी</u> की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>नरपत की खेड़ी</u> पंच <u>कुमार</u> स्थित <u>खातेदारी</u> की भूमि आराजी नम्बर <u>591, 592, 595, 596, 597, 606</u> <u>0.18 0.66 0.42 0.31 0.50 0.67</u></p> <p>कुल कीता <u>6</u> रकबा <u>2.7400</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500=00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार पांच सौ रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">↓ (श्याम सुन्दर बिश्नोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

क्रमांक / सरिश्ता / प्रा.पत्र 05/2024 06

दिनांक 10/01/22

तहसीलदार
चित्तौड़गढ़

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

प्रकरण : 1 से 5 भाग्यन्द - रामकरण - गुलाबचन्द - मोतीलाल - हीरालाल
विला किशनाजी

6- भोलीबाई पत्नी शतलालजी माली निवासी नरपत की खेड़ी

बनाम

— प्रार्थीगत

- 1- श्यामलाल 510 भोडा दोली 140 पाठोली
 - 2- भगवान 510 केलाजी कलाई 140 नरपत की खेड़ी
 - 3- भारती आर्ष प्री युवरज सिंह आर्ष दोली निवासी
शास्त्रीनगर चित्तौड़गढ़
 - 4- सरका जरिर भूमिदारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़
- विपक्षीगत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपरोक्त विषयाकित अनवान के प्रकरण में ग्राम ^{नरपत की खेड़ी} खतौनी सं. 16
सम्बत् 2069-2072 में अकित आराजी नम्बर 591, 592, 595, 596
_{0.18 0.66 0.42 0.31}
597 606 कुल किता 6 रकबा 2.7400 है. भूमि की
_{0.50 0.67}
नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना
पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकन (पत्थरगढ़ी) कर दिया जावे। खर्चा कमिश्नर
शुल्क रूपये 1500-00 अक्षर एक हजार पांच सौ रुपय मात्र प्रार्थी
वहन करेंगे। पालना रिपोर्ट न्यायालय में (15 दिवस में) शीघ्र भिजावे।

(राम मन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)